6/6/2018 - पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपण बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (अप्रार्थी) ने बताया कि हमें बिना सुने (भूमि) रहन रखी हुई सम्पत्ति की निलामी हेतु आदेश जारी किया है जिसे स्थगित करवाया जावे। वकील अप्रार्थी (प्रार्थी) का कथन है कि एम्पू फाईनेन्स की ओर से अप्रार्थी को सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋण राशि जमा करवाने हेतु सूचनापत्र जारी किया परन्तु अप्रार्थी ने कोई परवाह नहीं कर ऋण राशि की किश्तें व ब्याज समय पर अदा नहीं किए जाने से न्यायालय श्रीमान के प्रार्थना पत्र सं० 21/2018 आदेश दि० 31-1-2018 से कम्पनी के पक्ष में रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेने व विधिवत निलामी हेतु जारी किया। उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय स्तर से कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली में संलग्न इस न्यायालय के प्र० सं० 21/2018 आदेश दि० 31-1-2018 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी (प्रार्थी) डिफाल्टर होने से इस न्यायालय के आदेश दि० 31-1-2018 को किसी भी तरह से स्थगित किए जाने का कोई ~~प्राविधान~~ अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी विधिवत DRT जयपुर में प्रकरण प्रस्तुत कर किसी प्रकार की राहत प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश आज दि० 6/6/2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर कमरे से कम हो।

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)